SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No
Name and address of the Complainant 9/12/19 9 14/14/10/19/1
मान कार्य कार्ययन निष्ट ८/० अन्तन्त शम्
110 1000 100 220 121E 3/0 31000 218)
A PART THE PROPERTY (SEE AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF T
Name , parentage, caste and address of accused
4201 ITE 8/0 3-10010 214 34 45014
Name, parentage, caste and address of accused  42-1 The 3/0 3-10-old 21+1 34 45 04  , 2) - 8/2/41 411 421 +11 cdol/42
77 AILG. 132
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission
and the state of t
आप पर आरोप है कि दिनांक 06/11/2017 मुकाम
श्री या प्राप्त के अपने पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने
आधिपत्य में 28 वर्गाएलीटर/पाव/बोनले क्ल शराब विकथ/परिव्रहन हेतु रखी।
ऐसा करके आपने आबकारी अधि० 1915 की घारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय
अपराध कारिल किया।
क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
EVER AREA
The plea of the accused and his examination (if any)
अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।
The state of the property of the support of the sup
and the second s
THE STATE OF THE S
To a fee

## //निर्णय// (आज दिनांक <u>661218</u> को घोषित)

- 01. <u>अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि</u> 1915 की धारा 34–1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
  - 02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अत अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
    - 03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अवधि तक की संजा एवं रूपये 100% हों में प्राप्त के राजा अपने रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर न दिवान का साधारण कारावास की संजा भुगतायी जावे।
      - 04 जप्तशुदा सम्पत्ति 28 अविद्याति विदर/पाव/बोतल शराब शराब मूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अविध पश्यात् नियमानुसार की जावे। अपील अविध पश्यात के आदेश का

